न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

राजस्व वाद संख्या– 25 / 2021

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. दिनेश पुत्र भोलाराम जाति सैन (नाई) निवासी जाटों का बास हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1. आयचुकी पुत्री भोलाराम जाति सैन निवासी रावली पोल राजादण्ड तहसील जैतारण पाली 2. किरण पुत्री भोलाराम जाति सैन निवासी नाईयों का बास बिरामी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 3. मंजूदेवी पुत्री भोलाराम जाति सैन निवासी बढेर का बास देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली 4. सुमन पुत्री भोलाराम 5. गीता पत्नी भोलाराम जातियान सैन निवासीगण जाटों का बास हरियाडा तहसील बिलाडा 6. पपूडी पुत्री गंगाराम जाति सैन निवासी गतियालों का बास राजोला कलां तहसील सोजत सिटी पाली 7. समुदेवी पुत्री गंगाराम जाति सैन निवासी घोशीवाडा केरिया का बास सोजत सिटी जिला पाली 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :–वादी की ओर से श्री इन्द्रजीत गोयल अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से छत्रपाल सिंह देवल अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 8 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–**

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व में खसरा नम्बर 440 / 10 रकबा 2.5645

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:07 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/12–1/12 वा हिस्सा निहित है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 से स्पष्ट है। जिसकी प्रति वाद के साथ संलग्न है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्व. श्री भोलाराम जी के विधिक वारिसान है। इनके अलावा स्वं भोलाराम जी के अन्य कोई वारिसान नही है। इसी प्रकार ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व में खसरा नम्बर 440/6 रकबा 3. 1308 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसमें वादी का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/9–1/9 वा हिस्सा निहित है, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा निहित है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 से स्पष्ट है। जिसकी प्रति वाद के साथ संलग्न है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्व. श्री भोलाराम जी के विधिक वारिसान है। इनके अलावा स्वं भोलाराम जी के अन्य कोई वारिसान नही है, तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 7 स्व. गंगाराम जी की जायन्दा पुत्रिया है तथा स्व. भोलाराम जी बहिने है तथा वादी की भुआ है। स्व. भोलाराम जी स्व. श्री गंगाराम जी के जायन्दा पुत्र थे। उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि वादी के पिता स्व. भोलाराम जी की पैतृक सम्पति है। उपरोक्त पद संख्या 1 व 2 में वर्णित खसरान की कृषि भूमि के सुधार कार्य हेतु एक माह पहले वादी को ऋण की आवश्यकता हुई तो वादी बैक मैनेजर साहब के समक्ष अपने सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, राशनकार्ड, अंकतालिका राजस्व रेकर्ड आदि पेश किये। जिसे देखकर बैक मैनेजर ने बताया कि आपका राजस्व रेकर्ड में तो नाम महेन्द्र दर्ज है तथा सरकारी दस्तावेजात में आपका नाम दिनेश सैन दर्ज है। इसलिए आपको बैक से ऋण प्राप्त नही हो सकता, तब वादी को यह जानकारी हैरानी हुई और वादी ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और हल्का पटवारी को उक्त लिपिकीय त्रुटी बाबत् बताया तो हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि आपके पिता भोलाराम के फौत होने पर उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1158 दिनांक 06.12.2006 स्वीकृत हुआ जिसमें आपका नाम दिनेश सैन के स्थान पर महेन्द्र दर्ज कर दिया गया। जो एक लिपिकीय त्रुटी है। जिसकी ताईद में जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 की प्रति वाद के साथ संलग्न है। वादी का नाम महेन्द्र के स्थान पर दिनेश सैन दुरूस्त करवाया जाना अति आवश्यक है। जिसके लिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी के पिता भोलाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1158 दिनांक 06.12.2006 का स्वीकृत करते समय हल्का पटवारी द्वारा बोलचाल की भाषा एवं सहवन से वादी का नाम दिनेश सैन के स्थान पर वादी को घर पर लाड प्यार से पुकारा जाने वाला नाम महेन्द्र लिख दिया गया जबकि वादी के सरकारी दस्तावेजात आधारकार्ड, पहचान पत्र, जन्म

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, राशनकार्ड, अंकतालिका व अन्य दस्तावेजात में उसका सही नाम दिनेश सैन दर्ज है। जिसके कारण वादी न तो बैक से ऋण प्राप्त कर सकता है तथा न ही किसी अन्य प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है। वादग्रस्त भूमि में वादी के अलावा महेन्द्र पुत्र भोलाराम के नाम से अन्य कोई व्यक्ति नही है, तथा दिनेश सैन पुत्र श्री भोलाराम व महेन्द्र पुत्र श्री भोलाराम दोनो एक ही व्यक्ति है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज अन्य पक्षकारान का हक हिस्सा प्रभावित नही होने के कारण उन्हे उक्त वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त वाद में वादी के पिता भोलाराम के सभी वारिसान आवश्यक होने से उन्हे वाद पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 8 तहसीलदार बिलाड़ा को भूमिधारी होने से वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम हरियाड़ा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मालकोसनी, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 440/10 रकबा 2.5645 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/12 वॉ हिस्से के सयुक्त खातेदार काश्तकार महेन्द्र पुत्र भोलाराम के स्थान पर दिनेश सैन पुत्र भोलाराम की दुरूस्ती की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर खातेदार घोषित फरमावे। ग्राम हरियाड़ा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मालकोसनी, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 440/6 रकबा 3.1308 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/9 वॉ हिस्से के सयुक्त खातेदार महेन्द्र पुत्र भोलाराम के स्थान पर दिनेश सैन पुत्र भोलाराम की दुरूस्ती की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर खातेदार घोषित फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के सम्मन बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 7 की ओर से प्रतिवादी अधिवक्ता छत्रपाल सिंह देवल ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 से 7 की ओर प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब पेश किया किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र में पद संख्या 1 राजस्व रेकर्ड के अनुसार सही होने से स्वीकार है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 स्व. भोलाराम जी के जीवित विधिक वारिसान है इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है वादी एवं प्रतिवादी 1 से 5 स्व भोलाराम जी के जीवित विधिक वारिसान है इनके अलावा भोलाराम जी के अन्य कोई वारिसान नही है एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 पपुडीदेवी व समुदेवी दोनो स्व. भोलाराम जी की बहिनें है वाद पत्र के पद सं. 1 व 2 मे वर्णित भूमि मे राजस्व कर्मचारियों द्वारा स्व. भोलाराम जी का फौतेदारी म्यूटेशन भरते समय वादी घर पर लाड प्यार से पुकारा जाने वाला नाम महेन्द्र लिख दिया जबकि वादी के सरकारी दस्तावेजों के अनुसार

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:07 IST
Reason: SelfAttested

उसका सही नाम दिनेश सैन है जिसे दुरस्त कराने का वादी अधिकारी है दिनेश सैन पुत्र भोलाराम व महेन्द्र पुत्र भोलाराम दोनो एक ही व्यक्ति है वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का नाम महेन्द्र पुत्र भोलाराम को दुरस्त कर दिनेश सैन पुत्र भोलाराम को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के लिए खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है अन्त में जवाब पेश कर निवेदन है कि ग्राम हरियाडा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मालकोसनी तहसील बिलाडा की राजस्व सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 440/10 रकबा 2.5645 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/12 वा हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार महेन्द्र पुत्र भोलाराम के स्थान पर दिनेश सेन पुत्र भोलाराम की दुरस्ती की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 से 7 को कोई आपति नहीं है इसी प्रकार ग्राम हरियाडा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मालकोसनी तहसील बिलाडा की राजस्व सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 440/6 रकबा 3.1308 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/9वां हिस्से के संयुक्त खातेदार महेन्द्र पुत्र भोलाराम के स्थान पर दिनेश सैन पुत्र भोलाराम की दुरस्ती की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी संत्र 1 से 7 कोई आपति नहीं है प्रतिवादी सं. 8 सरकारी पैरोकार ने जवाब पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाडा के खसरा नं. 440/10 रकबा 2.5645 हैक्टयर में वादी का 1/12 तथा प्रतिवादी सं. 1 से 5 का प्रत्येक का 1/12– 1/12 हिस्सा है ग्राम हरियाडा के खसरा नं. 440/6 रकबा 3.1308 हैक्टयर में वादी का 1/9 व प्रतिवादी सं. 1 से 5 का प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 6 व 7 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा है उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण को उतराधिकार से प्राप्त हुई है। वादी का विरासत नामा. भरते समय नाम महेन्द्र दर्ज हो गया जबकि सरकारी दस्तावेज में नाम दिनेश है महेन्द्र व दिनेश एक ही व्यक्ति है अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम हरियाडा के खसरा नम्बर 440/10 रकबा 2.5645 में 1/12 हिस्सा में व खसरा नम्बर 440/6 रकबा 3.1308 हैक्टयर में 1/9 हिस्से में प्रविष्टि महेन्द्र पुत्र भोलाराम के स्थान पर दिनेश पुत्र भोलाराम की जाती है तो प्रतिवादी सं. 8 भूमिधारी को कोई आपति नहीं हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा दावा स्वीकार करने के कारण तनकियात की आवश्यकता नही रही । वादी ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 खसरा नम्बर 440/6 प्रदर्श 1, जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 खसरा नम्बर 440/10 प्रदर्श 2, जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 440/6 प्रदर्श 3, जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 440/10 प्रदर्श 4, आधारकार्ड प्रदर्श 5, पहचान पत्र प्रदर्श 6,

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:07 IST
Reason: SelfAttested

कक्षा 8 वी अंक तालिका प्रदर्श 7, पैनकार्ड प्रदर्श 8, राशनकार्ड प्रदर्श 9 जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श 10, फौतेदगी म्यूटेशन 440/6 एवं 440/10 प्रदर्श 11 आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम दिनेश पुत्र भोलाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी महेन्द्र पुत्र भोलाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दिनेश पुत्र भोलाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व में खसरा नम्बर 440/10 रकबा 2.5645 हैक्टेयर में वादी का 1/12 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 440/6 रकबा 3.1308 हैक्टेयर में वादी का 1/9 हिस्सा, राजस्व रेकर्ड में दर्ज महेन्द्र पुत्र भोलाराम के स्थान पर दिनेश पुत्र भोलाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:07 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **भवानी सिंह, आर.ए.एस.**

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. दिनेश पुत्र भोलाराम जाति सैन(नाई) निवासी जाटों का बास हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1. आयचुकी पुत्री भोलाराम जाति सैन निवासी रावली पोल राजादण्ड तहसील जैतारण पाली 2. किरण पुत्री भोलाराम जाति सैन निवासी नाईयों का बास बिरामी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 3. मंजूदेवी पुत्री भोलाराम जाति सैन निवासी बढेर का बास देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली 4. सुमन पुत्री भोलाराम 5. गीता पत्नी भोलाराम जातियान सैन निवासीगण जाटों का बास हरियाडा तहसील बिलाडा 6. पपूडी पुत्री गंगाराम जाति सैन निवासी गतियालों का बास राजोला कलां तहसील सोजत सिटी पाली 7. समुदेवी पुत्री गंगाराम जाति सैन निवासी घोशीवाडा केरिया का बास सोजत सिटी जिला पाली 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 25/2021

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री इन्द्रजीत गोयल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से श्री छत्रपाल सिंह देवल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 8 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व में खसरा नम्बर 440/10 रकबा 2.5645 हैक्टेयर में वादी का 1/12 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 440/6 रकबा 3.1308 हैक्टेयर में वादी का 1/9 हिस्सा, राजस्व रेकर्ड में दर्ज महेन्द्र पुत्र भोलाराम के स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:07 IST
Reason: SelfAttested

पर दिनेश पुत्र भोलाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करेगें।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:07 IST
Reason: SelfAttested